

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन), योजना-2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक / दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एरा.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सूरज कुमार, 36, नरेश दास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	शोभा देवी (पत्नी)	1505 02.04.2026 एवं 254 19.01.2026	ग्राम-दादर मंडी नया टोला, वार्ड-57, पो-गुलजारबाग, थाना-आलगंज, जिला-पटना 8877930095	726602 120008 807	UNION BANK UBIN05 72667	रु० 50,000 / (पचास हजार रुपए)	स्वामाविक मृत्यु संबंधी बेचने का कार्य
2	स्व० रसीदा खातुन, 57, मो० अनवर, सामान्य जाति	मो० आगिर (पुत्र)	3151 09.06.2026 एवं 780 20.02.2026	ग्राम-चकदौलत, पो-लखनपुर, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना, 7250861959	359281 000285 69	BOB, BARBO BAKHTI	रु० 50,000 / (पचास हजार रुपए)	स्वामाविक मृत्यु, बिडी बनाने का कार्य
3	स्व० शांति देवी, 49, कपिलदेव राय, पिछड़ा वर्ग	कपिलदेव राय, (पति)	2605 27.05.2026 एवं 840 24.02.2026	ग्राम+पो-बुढ़रा, थाना-अधमलगोला, जिला-पटना, 7061309621	348301 000006 509	IOB IOBA00 03483	रु० 2,00,000 / - (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (सड़क दुर्घटना के कारण) खेतीहर मजदूर

कुल राशि :- रु० 3,00,000 /

(तीन लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

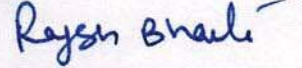
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-24/2026(अंश)-१११ पटना, दिनांक :- 19/01/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण

समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशिरू० 3,00,000/—(तीन लाख रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पटना /उप श्रमायुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक